न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर।

CNR No.– UPSP040440052026

राज्य बनाम आसिफ

मुकदमा अपराध संख्या– 309/2025
धारा–115(2), 352, 351(3), 131, 324(1), 110, 117(2) बीएनएस
थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर

25.05.2026

प्रार्थी /अभियुक्त **हारुन** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या– 309/2025, धारा–115(2), 352, 351(3), 131, 324(1), 110, 117(2) बीएनएस, थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य किसी प्रकार का अभियोजन पक्ष के पास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी है। तथाकथित घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी वाद उक्त में दौरान विवेचना धारा–35 ए भा0 ना0 सु0 सं0 के नोटिस पर रिहा था। अभियुक्त के आरोप–पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा जमानत का दुरुपयोग किए जाने का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं लाया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

प्रार्थी/ अभियुक्त **हारुन** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 20 हजार रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

(अभिषेक चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय
सहारनपुर।
JO Code– UP3465